अति आवश्यक/महत्वपूर्ण

उत्तराखंड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (उत्तराखंड कैम्पा)

वन मुख्यालय 85, राजपुर रोड़, देहरादून टेलीफैक्स : 0135–2744077 ई–मेलः ceocampa-forest-uk@nic.in
web site- www.ukcampa.org.in

पत्रांक– 439/CAF Rule/ 18-19 दिनांक 21 अगस्त, 2018

सेवा में,

समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक/निदेशक,
समस्त वन प्रभाग/क्रियान्वयन अभिकरण,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

विषयः– पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, (वन संरक्षण अनुभाग) भारत सरकार द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2018 को अधिसूचित प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम, 2018 **(Compensatory Afforestation fund Rules, 2018** के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2018 को प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम, 2018 **(Compensatory Afforestation fund Rules, 2018)** की अधिसूचना जारी की गई है, जिसकी प्रति उत्तराखण्ड कैम्पा की वेबसाइट **www.ukcampa.org.in** पर अपलोड कर दी गई है। कृपया उक्त को वेबसाइट के मुख्य वेबपेज के दायीं ओर उल्लिखित Download Section से प्राप्त किया जा सकता है। अधिसूचित नियमावली का भली भाँति अध्ययन करते हुए, कैम्पा के अन्तर्गत प्रस्तावित की गई तथा प्रस्तावित की जाने वाली समस्त गतिविधियों के क्रियान्वयन में, उल्लिखित नियमों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016** (CAF ACT 2016) की अधिसूचना दिनांक 03 अगस्त, 2016 को जारी की गई थी, जिसका कियान्वयन दिनांक 30 सितम्बर, 2018 से लागू हो जाएगा। CAF Act 2016 की प्रति भी उत्तराखण्ड कैम्पा की उपरोक्त वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। उत्तराखंड राज्य प्राधिकरण तथा इसके अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों का संचालन इन्हीं दो महत्वपूर्ण अभिलेखों के अनुसार किया जाएगा। आपसे अपेक्षा है कि इन दोनों अभिलेखों का भली भांति अध्ययन कर इसके समस्त बिन्दुओं से भिज्ञ हो लें जिससे भविष्य में इसके अनुसार कैम्पा संबंधी गतिविधियों के कियान्वयन में कोई कठिनाई न उत्पन्न हो।

प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम, 2018 के अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्न बिन्दुओं का अनिवार्य रूप से संज्ञान लिया जाएः–

1. प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम, 2018 के उपनियम–5(2)-(पृष्ठ संख्या 3–हिन्दी संस्करण तथा पृष्ठ संख्या 28–अंग्रेजी संस्करण) के अनुसार कैम्पा निधि के अन्तर्गत NPV मद में एकत्रित धनराशियों के **न्यूनतम 80%** अंश का व्यय केवल **उपनियम–5(2)** में उल्लिखित गतिविधियों के अनुसार ही किया जाए।

2. उपनियम 5(3)-(पृष्ठ संख्या 3–हिन्दी संस्करण तथा पृष्ठ संख्या 28–अंग्रेजी संस्करण) के अनुसार शेष **अधिकतम 20%** NPV का उपयोग **उपनियम–5(3)** में उल्लिखित गतिविधियों के अनुसार ही किया जाए।

3. उपनियम–5(4)-(पृष्ठ संख्या 4–हिन्दी संस्करण तथा पृष्ठ संख्या 29–अंग्रेजी संस्करण) कैम्पा निधि के अन्तर्गत **उपनियम–5(4)** में उल्लिखित निम्न गतिविधियों हेतु कैम्पा निधि का व्यय प्रतिबंधित किया गया है। अतः इन कार्यों हेतु कैम्पा निधि के अंतर्गत अवमुक्त धनराशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

a. राज्य निधि से विभिन्न वन प्रभागों में कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने के लिए राज्य वन विभाग के नियमित कर्मचारियों को वेतन यात्रा भत्तों, चिकित्सीय व्यय आदि का भुगतान

b. विदेशी दौरे करना:

c. अधिकरणों अथवा न्यायलयों में दर्ज किए गए मामलों जो राज्य प्राधिकरण के प्रबंधन नहीं है, का प्रतिवाद करने के लिए विधिक सेवाओं के लिए भुगतान

d. राज्य निधि से किए गए विभिन्न वन प्रभागों में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य वन विभाग के वन रेंज, अधिकारियों से बडे अधिकारियों के लिए आवासीय और कार्यलयी भवनों का निर्माण

e. राज्य निधि से किए गए विभिन्न वन प्रभागों में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य वन विभाग के वन रेंज, अधिकारियों से बडे अधिकारियों के लिए आवासीय और कार्यालयी भवनों का निर्माण:
वनीकरण प्रयोजनार्थ भूमि को लीज पर देने, किराए पर देने और उसकी खरीद करने:

f. विभिन्न वन प्रभागों में राज्य निधि से किए गए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य वन विभाग के आवासों और कार्यालयों के लिए एयर कंडीशनरों और जेनेरेटर्स सेटों सहित फर्नीचर, कार्यालय उपरकण, फिक्चर्स की खरीद:

g. कार्ययोजना निर्धारण्ध के तहत् राजस्व सृजन के लिए वृक्षों की वाणिज्यिक कटाई द्वारा वन में सृजित खाली स्थानों में कार्य योजना के अनुसार अनिवार्य वनीकरण।

h. ऐसी स्कीमों के प्रतिपूरक कार्यो अथवा बकाया कार्यो को पूरा करने के लिए स्कीमों के आशिंक रूप से वित्त पोषण के प्रयोजनार्थ सरकार की अन्य स्कीमों के तहतफ किए गए वन और वन्यजीव संरक्षण और अन्य कार्यकलापों को करने के लिए:

i. चिड़ियाघर और वन्यजीव सफारी की स्थापना, विस्तारण और उन्नयन।

j. विद्यमान वन निगमों, बोर्डो आदि को नए वन निगमों बोर्डो आदि को अनुदान या साम्या के जरिए वित्तीय सहयोग प्रदान करना।

उपरोक्त के अतिरिक्त पृष्ठ 12 (हिन्दी) /पृष्ठ 51(अंग्रेजी) में दिए गए **प्रारूप–12** का भी भली भॉति अध्ययन कर लिया जाए जिसके अनुसार आगामी वर्षो में वार्षिक कार्ययोजनाओं को तैयार किया जाना है। नियम 36 के अनुसार आगामी वर्ष 2019–20 की वार्षिक कार्ययोजना 31 दिसम्बर, 2018 तक भारत सरकार को प्रेषित की जानी है अतः विशेष रूप से, स्थल विशिष्ट कार्यों सहित आवश्यक फील्ड संबंधी जानकारी का संकलन भी तद्नुसार आरंभ कर दिया जाए।

तद्नुसार, प्रभागों के स्तर से प्रस्तावित की जाने वाली वार्षिक कार्ययोजनाओं के अंतर्गत कार्य प्रस्तावित करते समय व क्रियान्वित करते समय **प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम, 2018** में उल्लिखित नियमों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

21/8/18

(डा0 समीर सिन्हा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांकः– 439/CAF Rule/18-19 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ।
2. प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड।

5. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल एवं कुमाऊं जोन, उत्तराखण्ड।
7. समस्त संबंधित वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड।

21/8/18

(डा0 समीर सिन्हा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा